

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ.6(6)/एफ.डी./रूल्स/2010 दिनांक-25.04.12 के प्रावधानान्तर्गत राजकीय चिकित्सालय, हनुमानगढ़ टाऊन के मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, हनुमानगढ़ की अनुशंषा के आधार पर श्रीमती कर्मजीत कौर, व्याख्याता (हिन्दी) राबाउमावि, पक्का सारणा (हनुमानगढ़) को दिनांक-06.11.2019 से उनके मूल वेतन का छः प्रतिशत (6 %) किन्तु जो 600/- (छः सौ रूपये) प्रतिमाह से अधिक ना हों, मासिक विकलांग वाहन भत्ता स्वीकृत किया जाता है।

इन्हें आकरिमक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों को उपभोग करने की अवधि का ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदोन्नति एवं अन्य किसी कारण से कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि तथा निलम्बन अवधि का विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान


बीकानेर

क्रमांक- शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/विकलांग भत्ता/2018

दिनांक- 29/11/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) बीकानेर संभाग, बीकानेर
- 2-मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान, हनुमानगढ़
- 3 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु
- 4-प्रधानाचार्य, राबाउमावि, पक्का सारणा (हनुमानगढ़) को श्रीमती कर्मजीत कौर, व्याख्याता (हिन्दी) का मूल विकलांग प्रमाण पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जा रहा है। (रजिस्टर्ड)
- 5-श्रीमती कर्मजीत कौर, व्याख्याता (हिन्दी) राबाउमावि, पक्का सारणा (हनुमानगढ़)
- 6-रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कामिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ.6(6)/एफ.डी./रूल्स/2010 दिनांक-25.04.12 के प्रावधानान्तर्गत राजकीय चिकित्सालय, नागौर के मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ, मेडतासिटी, नागौर की अनुशंसा के आधार पर श्री श्याम लाल, व्याख्याता (हिन्दी) राबाउमावि, मेड़ता रोड़ (नागौर) को दिनांक-19.11.2019 से उनके मूल वेतन का छः प्रतिशत (6 %) किन्तु जो 600/- (छः सौ रुपये) प्रतिमाह से अधिक ना हो, मासिक विकलांग वाहन भत्ता स्वीकृत किया जाता है।

इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों को उपभोग करने की अवधि का ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदोन्नति एवं अन्य किसी कारण से कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि तथा निलम्बन अवधि का विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक- शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/विकलांग भत्ता/2018

दिनांक- 29/11/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1-संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) अजमेर संभाग, अजमेर

2-मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ, मेड़तासिटी (नागौर)


3 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु

4-प्रधानाचार्य, राबाउमावि, मेड़ता रोड़ (नागौर) को श्री श्याम लाल, व्याख्याता (हिन्दी) का मूल विकलांग

प्रमाण पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जा रहा है। (रजिस्टर्ड)

5-श्री श्याम लाल, व्याख्याता (हिन्दी) राबाउमावि, मेड़ता रोड़ (नागौर)

6-रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ.6(6)/एफ.डी./रूल्स/2010 दिनांक-25.04.12 के प्रावधानान्तर्गत राजकीय चिकित्सालय, नागौर के मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ, मेडतासिटी, नागौर की अनुशंषा के आधार पर श्री रामकिशोर, व्याख्याता (हिन्दी) राउमावि, इन्दावड़ (नागौर) को दिनांक-19.11.2019 से उनके मूल वेतन का छः प्रतिशत (6 %) किन्तु जो 600/- (छः सौ रुपये) प्रतिमाह से अधिक ना हो, मासिक विकलांग वाहन भत्ता स्वीकृत किया जाता है।

इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों को उपभोग करने की अवधि का ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदौन्नति एवं अन्य किसी कारण से कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि तथा निलम्बन अवधि का विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस  
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक- शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/विकलांग भत्ता/2018

दिनांक- 29/11/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1-संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) अजमेर संभाग, अजमेर


2-मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ, मेडतासिटी (नागौर)

3 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु

4-प्रधानाचार्य, राउमावि, इन्दावड़ (नागौर) को श्री रामकिशोर, व्याख्याता (हिन्दी) का मूल विकलांग प्रमाण पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जा रहा है। (रजिस्टर्ड)

5-श्री रामकिशोर, व्याख्याता (हिन्दी) राउमावि, इन्दावड़ (नागौर)

6-रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कामिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ.6(6)/एफ.डी./रूल्स/2010 दिनांक-25.04.12 के प्रावधानान्तर्गत सामान्य चिकित्सालय, बूंदी के मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ, के.पाटन (बूंदी) की अनुशंषा के आधार पर श्री राकेश नागर, व्याख्याता (हिन्दी) राउमावि, सुमेरगंजमंडी (बूंदी) को दिनांक-19.11.2019 से उनके मूल वेतन का छः प्रतिशत (6 %) किन्तु जो 600/- (छः सौ रुपये) प्रतिमाह से अधिक ना हो, मासिक विकलांग वाहन भत्ता स्वीकृत किया जाता है।

इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों को उपभोग करने की अवधि का ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदोन्नति एवं अन्य किसी कारण से कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि तथा निलम्बन अवधि का विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस  
निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक- शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/विकलांग भत्ता/2018

दिनांक- 29/11/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) कोटा संभाग, कोटा
- 2-मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ, के.पाटन (बूंदी)
- 3 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु
- 4-प्रधानाचार्य, राउमावि, सुमेरगंजमंडी (बूंदी) को श्री राकेश नागर, व्याख्याता (हिन्दी) का मूल विकलांग प्रमाण पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जा रहा है। (रजिस्टर्ड)
- 5-श्री राकेश नागर, व्याख्याता (हिन्दी) राउमावि, सुमेरगंजमंडी (बूंदी)
- 6-रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर